No such proposal is under consideration of the Government.

(b) and (c) Do not arise.

Non-deposit of Provident Fund Contributions of Employees of Hindustan Fertilizer Corporation

2408. SHRI SUNIL BASU RAY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Provident Fund contributions of the employees of Hindustan Fertilizer Corpodation, Durgapur unit have not been deposited.

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action have been taken to regularise it?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b) An estimated amount of Rs. 50.87 lakhs pertaining to the period from September 1992 to November 1992 is outstanding on account of PF dues against M/s. Hindustan Fertilizer Corporation Durgapur.

(c) Necessary legal proceedings under Section 7A of the EPF & MP Act have been initiated by the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal.

Violation of Labour Laws by Public Sector Undertakings

2409. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the violation of labour laws by the public sector undertakings during the last year;

(b) if so, the details thereof and the action taken thereon; and

(c) what steps are being taken for the strict compliance of labour laws?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बीड़ी कर्मकारों के हितों की रक्षा

2410. **श्री शिवचरण सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बीड़ी कर्मकारों की राज्य वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) इन कर्मकारों के हितों की रक्षा हेतु कौन-कौन से कानून हैं और उन विभागों का ब्यौरा क्या है जो इन कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उत्तरदायी हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कारखानों के अलावा अधिकतर बीड़ियां घरों में बनाई जाती हैं, क्या सरकार ने इन कर्मकारों के संबध में कोई सर्वेक्षण करवाया है ; यदि हां, तो इन कर्मकारों की संख्या कितनी है ;

(घ) सरकार द्वारा कारखानों तथा घरों में बीड़ी बनाने वाले कर्मकारों को दी जाने वाली मजदूरी की क्या दरें निर्धारित की गई हैं और यह मजदूरी किस प्रकार अदा की जाती है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि देश में बीड़ी कर्मकारों को कहीं भी निर्धारित दरों के आधार पर मजदूरी नहीं दी जाती है ; और

(च) राजस्थान में, विशेषकर करौली सवाई माधोपुर में, बीड़ी कर्मकारों के हितों की रक्षा न किये जाने के क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) देश में बीड़ी